



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 05.11.22

## थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभि0 को मय (140) नशीली गोलिया अलप्राजोलम

### नशीली गोलियो सहित किया गया।

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक:-04.11.2022 को समय 19.35 बजे उ0नि0 श्री अमित शर्मा व का0 2408 उदयवीर के कब्रिस्तान से 30-35 कदम की दूरी पर शहीद नगर के पास अभि0 बाबू उर्फ रिजवान पुत्र कल्लू निवासी डी-381 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष को (140) नशीली गोलिया अलप्राजोलम नशीली गोलिया सहित गिरफ्तार किया गया।



### अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 द्वारा एनसीआर व आसपास के जिलो मे नशे की गोलिया को राह चलते अलग-अलग लोगो के बेच देना।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.बाबू उर्फ रिजवान पुत्र कल्लू निवासी डी0 381 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष

### गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1765/22 धारा 8/21 NDPS ACT

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी

उ0नि0 श्री अमित शर्मा

का0 2408 उदयवीर

### बरामदगी का विवरण:-

अभि0 से (140) नशीली गोलिया अलप्राजोलम नशीली गोलिया बरामद

## मसूरी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मे नामजद 03 नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

**कार्यवाही -** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज द्वारा जनपद मे अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर श्री निमिष पाटिल के पर्यवेक्षण में दिनांक 05.11.2022 को प्रभारी

निरीक्षक रविन्द्र चन्द्र पन्त थाना मसूरी गाजियाबाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब कांठ की पुलिस कस्टोडियन डासना में दिनांक 02.11.2022 को एक पुरुष की उसके दोस्तों द्वारा पैसों के लेनदेन को लेकर हुये विवाद में कील लगा हुआ लकड़ी का फट्टा मार कर हत्या कारित करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0स0 812/2022 धारा 302/120बी भादवि में नामजद अभियुक्त (1) मौ0 अली पुत्र युनुस उम्र 28 वर्ष निवासी काजी वाली मस्जिद के पास डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को मुखबिर खास की सूचना पर कल्लूगढी फाटक के पास से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिससे पूछताछ कर अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त कील लगा हुआ लकड़ी का फट्टा बरामद किया गया तथा घटना में सम्मिलित अभिगण (2)- नदीम पुत्र हमीदुल्ला उम्र 30 वर्ष निवासी काजी वाली मस्जिद के पास डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद (3) सलीम पुत्र नन्हे उम्र 22 वर्ष निवासी काजी वाली मस्जिद के पास डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को उनके मस्कन से समय 13.25 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### नाम पता अभियुक्तगण-

- 1- मौ0 अली पुत्र युनुस उम्र 28 वर्ष निवासी काजी वाली मस्जिद के पास डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद
- 2- नदीम पुत्र हमीदुल्ला उम्र 30 वर्ष निवासी काजी वाली मस्जिद के पास डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद
- 3- सलीम पुत्र नन्हे उम्र 22 वर्ष निवासी काजी वाली मस्जिद के पास डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

#### बरामदगी-

- 1- आलाकत्ल एक कील लगा हुआ लकड़ी का फट्टा

#### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 812/2022 धारा 302/120बी भादवि थाना मसूरी गा0बाद बनाम मौ0अली, नदीम व सलीम

#### गिरफ्तारी / पर्यवेक्षण करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र चन्द्र पंत
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद
3. का0 919 विपिन शर्मा
4. का0 2596 रोहित कुमार
5. का0 219 अजय कुमार
6. का0 1362 विकास कुमार

**थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर 02 अभियुक्त गण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल तकिया बरामद।**

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के एवं निकट पर्यवेक्षण श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार खारी की टीम द्वारा दिनांक: 04.11.2022 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 490/22 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर टीम गठित की गयी, तथा मुकदमा उपरोक्त के अनावरण हेतु थाना कोतवाली नगर से गठित पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास कर मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्तगण मोहिद व तोहिद को गिरफ्तार किया गया

, अभियुक्तगण मोहिद व तोहिद द्वारा अपनी बहन का गला दबाकर हत्या कर जघन्य अपराध किया गया। मुकदमा उपरोक्त की घटना मे प्रयुक्त तकिया को बरामद कर सफल अनवारण किया गया। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

### **अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-**

अभियुक्तगण मोहिद व तोहिद ने पूछताछ पर बताया कि बहन, समीर सलमानी नाम के लडका से बात करती थी जो मुस्लिम नाई जाति का था बहन को काफी समझा कि हमारी जाति मुस्लिम कुमार है इस कारण शादी नहीं हो सकती है। शादी से इन्कार करने के बाद भी बहन, समीर सलमानी से मिलना जुलना बन्द नहीं किया। हमारी समाज मे काफी बदनामी हो रही थी, समाज मे बदनामी होने के कारण अपनी बहन को रात्रि मे हम लोगो ने गला दबाकर हत्या कर दी।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. तौहिद उम्र करीब वर्ष 25 पुत्र नन्हे ठेकेदार निवासी- म0न0 346, गली न0- 04 इस्लाम नगर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. मोहिद उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र नन्हे ठेकेदार निवासी- म0न0 346, गली न0- 04 इस्लाम नगर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त**

- 1- मु0अ0सं0 490/2022 धारा 302/34 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद ।

### **बरामदगी –**

- 1- घटना मे प्रयुक्त तकिया

### **गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र0नि0 श्री अमित कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
2. निरीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. उ0नि0 विनेश थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
4. उ0नि0 संजीव सिंह चौहान थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
5. उ0नि0 श्री अंनग पाल राठी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
6. कानरेन्द्र कुमा 227 0र थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
7. चालक काइमरान सलमानी 174 0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद